11/03/26 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण को नोटिस जरिये Reg. डाक से भेजे हुए पर्याप्त समय बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि रा. वाद सं. 165/2017 व रा.आ सं. 279/2017 ईशराराम बनाम जगदीश में अधिवक्ता बीमार होने व वादीगण को पेशी तारीख की जानकारी नहीं होने से पत्रावली अदम पैरवी में खारिज की गई है जिसे न्यायहित प्रा. पत्र स्वीकार करते हुए रिस्टोर किया जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया जिसके आधार पर प्रार्थीगण [illegible] का प्रा पत्र O-9 R-4 CPC का [illegible] रा.वाद एवं आवेदन को पुनः [illegible] रजि. करने का आदेश किया जाता है। पत्रावली कुशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:15 IST
Reason: SelfAttested